भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *299
दिनांक 07 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा के लिए पहल

***299. श्री सौमित्र खान:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पश्चिम बंगाल में निर्भया निधि के अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर, महिला सहायता डेस्क, आपातकालीन अनुक्रिया सहायता प्रणाली (112), सीसीटीवी निगरानी, सुरक्षित परिवहन और महिला सुरक्षा संबंधी अन्य उपायों सहित अनुमोदित पहलों का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या स्वीकृत परियोजनाएं कार्यशील/प्रचालन में है;
(ग) विशेष रूप से राज्य के ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में निधियों को समय पर पूरा करने/प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मौजूद निगरानी/मूल्यांकन तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या निर्भया निधि के अंतर्गत राज्य में महिला सुरक्षा अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए कोई नई परियोजनाएं प्रस्तावित/अनुमोदित की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य में निर्भया निधि के अंतर्गत आबंटित, स्वीकृत, जारी की गई/उपयोग में लाई गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा के लिए पहल' विषय पर श्री सौमित्र खान द्वारा पूछे गए दिनांक 07.08.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 299 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): देश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, निर्भया कोष की स्थापना एक विशिष्ट गैर-व्यपगामी निधि के रूप में की गई है। इसका संचालन वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) द्वारा समय-समय पर जारी फ्रेमवर्क एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। पश्चिम बंगाल में निर्भया कोष के अंतर्गत कार्यान्वित/कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं/योजनाओं में; (i) आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस)-112, (ii) कोलकाता सहित 8 शहरों में कार्यान्वित सुरक्षित शहर परियोजना, (iii) वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), (iv) मानव दुर्व्यापार-रोधी इकाइयों (एएचटीयू) की स्थापना/सुदृढ़ीकरण, (v) महिला सहायता डेस्क (डब्ल्यूएचडी) की स्थापना/सुदृढ़ीकरण, (vi) महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी), (vii) कोलकाता में राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (एसएफएसएल) में साइबर फोरेंसिक विज्ञान एवं संबंधित सुविधाएं, (viii) फोरेंसिक विज्ञान साक्ष्य संग्रहण में जांच अधिकारियों (आईओ)/अभियोजन अधिकारियों (पीओ)/चिकित्सा अधिकारियों (एमओ) का प्रशिक्षण, (ix) केंद्रीय पीड़ित प्रतिकर कोष (सीवीसीएफ), (x) राज्य-वार वाहन ट्रैकिंग प्लेटफार्म (वीटीपी), (xi) बलात्कार एवं लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के अंतर्गत विचाराधीन मामलों के निपटान हेतु त्वरित विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना, (xii) महिलाओं की सुरक्षा सहित महिला संबंधी मुद्दों के प्रति पुरुषों का संवेदीकरण, (xiii) हिंसा से मुक्ति: निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का महिलाओं की सुरक्षा संबंधी विधिक प्रावधानों पर क्षमता निर्माण, शामिल हैं।

(ख): गृह मंत्रालय इनमें से अनेक परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया है। इनमें से पूर्ण की गई परियोजनाओं में: ईआरएसएस-112, सीवीसीएफ, मानव दुर्व्यापार-रोधी इकाइयों (एएचटीयू) की स्थापना/सुदृढ़ीकरण, महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध निवारण (सीसीपीडब्ल्यूसी), तथा फोरेंसिक विज्ञान साक्ष्य संग्रहण में जांच अधिकारियों (आईओ)/अभियोजन अधिकारियों (पीओ)/चिकित्सा अधिकारियों (एमओ) का प्रशिक्षण, शामिल हैं । वर्तमान में चल रही परियोजनाएं में, कोलकाता सहित 8 शहरों में कार्यान्वित सुरक्षित शहर परियोजना, महिला सहायता डेस्क (डब्ल्यूएचडी) की स्थापना/सुदृढ़ीकरण, तथा कोलकाता में राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एसएफएसएल) में साइबर फोरेंसिक विज्ञान एवं संबंधित सुविधाएं, शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, चल रही परियोजनाओं में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की राज्य-वार वाहन ट्रैकिंग प्लेटफार्म (वीटीपी) तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय की त्वरित विशेष न्यायालय (एफटीएससी) शामिल हैं, जिनमें विशेष रूप से पॉक्सो न्यायालय परियोजना भी सम्मिलित है जो वर्तमान

में चल रही है। इसके अतिरिक्त, पंचायती राज मंत्रालय ने हाल ही में, महिलाओं की सुरक्षा सहित महिला संबंधी मुद्दों के प्रति पुरुषों का संवेदीकरण तथा हिंसा से मुक्ति: महिलाओं की सुरक्षा संबंधी विधिक प्रावधानों पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण नामक परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रारंभ किया है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में 24 वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) कार्यशील हैं, जिनमें से एक दार्जिलिंग में, एक सिलीगुड़ी में तथा शेष 22 जिलों में से प्रत्येक में एक-एक है। अलीपुरद्वार जहां ओएससी सुफल बांग्ला भवन में स्थित है, को छोड़कर सभी ओएससी सरकारी अस्पतालों के भवनों में स्थित हैं।

(ग) एवं (घ): परियोजनाओं की संकल्पना की जाती है, योजना बनाई जाती है एवं अंतर-मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) के समक्ष मूल्यांकन एवं सिफारिश हेतु प्रस्तुत की जाती है। अंतर-मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्रस्तावों के मूल्यांकन एवं सिफारिश के पश्चात, प्रायोजक मंत्रालय के संबंधित सक्षम वित्तीय प्राधिकारी (सीएफए) द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है, जिसके बाद वित्त मंत्रालय द्वारा निर्भया कोष से प्रायोजक मंत्रालय/विभाग के बजट में निर्भया कोष से निधियों का आवंटन किया जाता है। आवर्ती व्यय वाली परियोजनाओं/योजनाओं के लिए, सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के प्रावधानों के अनुसार, कार्यान्वयन करने वाले मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से यथापेक्षित उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) एवं व्यय विवरण (एसओई) प्राप्त होने पर निधियां जारी की जाती हैं। अंतर-मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति संबंधित मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर अनुमोदित परियोजनाओं की कार्यान्वयन स्थिति एवं व्यय की समय-समय पर समीक्षा करती है। संबंधित प्रायोजक मंत्रालय/विभाग/राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र भी अपने स्तर पर कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करते हैं।

(ङ): पिछले पांच वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में निर्भया कोष के अंतर्गत वर्ष-वार आवंटित, स्वीकृत, जारी/उपयोग की गई निधियों का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

अनुलग्नक

'पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा के लिए पहल' विषय पर पूछे गए दिनांक 07.08.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 299 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पश्चिम बंगाल में परियोजनाओं के लिए जारी/उपयोग की गई निधि का विवरण

(करोड़ रुपए)

मंत्रालय	**क्र. सं.**	**परियोजना का नाम**	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022- 23**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**	**वित्तीय वर्ष 2024-25**	**वित्तीय वर्ष 2025-26**
गृह मंत्रालय	1	सुरक्षित शहर कोलकाता	0.00	26.25	0.00	25.00	1.97
	2	एसएफएसएल का सुदृढ़ीकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना/सुदृढ़ीकरण	2.50	0.05	0.20	0.25	0.00
	4	महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)	0.24	0.00	0.26	0.00	0.00
न्याय विभाग	5	*बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के तहत लंबित मामलों को निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना			0.71	1.11	1.29
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	6	** राज्य-वार वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म (वीटीपी)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	7	वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)	2.27	0.28	0.00	6.41	2.91

* पश्चिम बंगाल वर्ष 2023 में इस योजना में शामिल हुआ।

** पिछले पांच वर्षों में कोई निधि जारी नहीं की गई है। तथापि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 4.19 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।
